No. 4(8)/2010-SD.1
Government of India
Ministry of Steel

Udyog Bhawan, New Delhi
Dated the 19th December, 2014

To

The Stakeholders

Subject:-Classification/Categorization of Steel Producers – Regarding

Sir/Madam,

I am directed to refer to the above subject and to inform that, in view of the representations received from the industry regarding this Ministry's Notification of even No. dated 12.12.2013, a revised Draft Notification dated the 19th December, 2014 has been prepared regarding classification/categorization of Steel Producers/Processors. The Notification has been posted on the website of this Ministry (steel.gov.in) for wider circulation and shall remain on the website for the next three weeks. Comments, if any, on this may be sent to the undersigned, latest by 20th January, 2015, either by post or by e-mail, at the e-mail id: molly.tiwari@nic.in.

Yours faithfully,

(Molly Tiwari)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele-fax No.: 23062874

Copy to:-

Technical Director, NIC, with the request to post this letter and the Draft Notification enclosed on the website of Ministry of Steel, steel.gov.in.

(भारत के राजपत्र के भाग -I खंड 2 में प्राकशनार्थ)

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली।
दिनांक 19 दिसम्बर, 2014

(संशोधित प्रारूप) अधिसूचना

सं. 4(8)/2010-एस डी-I. इस्पात उत्पादकों / संसाधकों का वर्गीकरण निम्नवत होगा:-

I. **प्रमुख इस्पात उत्पादक :** इस्पात उत्पादक जो कच्चा अथवा संसाधित लौह अयस्क का उपयोग करके एकल तथा बहु-स्थान केंद्रित रोलिंग/ संसाधित सुविधाओं के साथ किसी भी क्षमता से लौह निर्माण का कार्य आरम्भ् करते हैं। लौह निर्माण, इस्पात निर्माण, रोलिंग तथा प्रोसेसिंग सुविधाएं एक ही कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनी/सहायक कंपनियों के स्वामित्व के अधीन होनी चाहिए।

II. **एकीकृत इस्पात उत्पादक :** प्रमुख इस्पात उत्पादक जो न्यूनतम 1 मीलियन टन प्रतिवर्ष (1 एम टी पी ए) कच्चा इस्पात का उत्पादन करते हैं ।

III. **गौण इस्पात उत्पादक :** इसमें किसी भी क्षमता के निम्नलिखित इस्पात उत्पादक/ संसाधक शामिल हैं:

क) वे इस्पात उत्पादक जिनके पास फेरस स्क्रैप से स्थानापन्न यथा स्पंज लौह/डी आर आई का उपयोग करते हुए अथवा उसके बिना क्रूड/निर्मित इस्पात उत्पादों का उत्पादन करते हेतु रोलिंग/प्रोसेसिंग सुविधाओं से युक्त अथवा उसके बिना (किंतु कैप्टिव लौह निर्माण सुविधाओं के बिना) ई ए एफ तथा/ अथवा ई आई एफ सुविधाएं एकल स्थान अथवा विभिन्न स्थानों पर किंतु एक ही कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनियों में उपलब्ध हों।

ख) अर्धनिर्मित / इंटरमीडिएट इस्पात उत्पादों से निर्मित/ मूल्य बर्धित इस्पात उत्पाद तैयार करने वाले हॉट रिरोलिंग मिलों कोल्ड रोलिंग मिलों, गेल्वेनाइजिंग यूनिटों जैसे इस्पात प्रोसेसर। रोलिंग अथवा प्रोसेसिंग सुविधाएं एक ही स्थल

अथवा एक ही कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनियों के विभिन्न स्थलों पर उपलब्ध होनी चाहिए ।

2. किसी उत्पादक को प्रमुख इस्पात उत्पादक अथवा एकीकृत इस्पात उत्पादक के रूप में वर्गीकृत होने के लिए लौह से कच्चे इस्पात या अर्ध निर्मित इस्पात या निर्मित इस्पात तक इस्पात निर्माण/संसाधन के समस्त कार्य-कलापों चाहे वे एक ही स्थल पर हों या विभिन्न स्थलों पर हों, का स्वामित्व एक ही निर्माता कंपनी अथवा उसकी सहायक कम्पनियों के साथ होना चाहिए । इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रासेसिंग संयत्रों को प्रमुख या एकीकृत इस्पात उत्पादक के रूप में वर्गीकृत होने के लिए यह जरूरी है कि वे एक ही कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों के अपस्ट्रीम संयत्रों की सामग्री का उपयोग अपनी डाउन स्ट्रीम यूनिटों में करें।

3. उपर्युक्त वर्गीकरण केवल आंकडों का संग्रह करने के उद्देश्य से किया गया है और इनका उत्पादित इस्पात की गुणवत्ता से कोई लेना-देना नहीं है। इस्पात मंत्रालय/संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा इस्पात उत्पादकों का किया गया वर्गीकरण को किसी भी सूरत में उत्पादित इस्पात की गुणवत्ता के प्रमाणीकरण के रूपों में नहीं देखा जाना चाहिए।

4. गुणवत्ता प्रमाणीकरण का कार्य भारतीय मानकीकरण ब्यूरो (बी आई एस) या अन्य किसी विनिदिष्ट प्राधिकरण द्वारा ही किया जाना चाहिए।

5. मंत्रालय द्वारा कोई भी प्रमाणन नहीं किया जाएगा। संयुक्त संयंत्र समिति जहां तक संभव हो सके भरपूर प्रयास करते हुए इस्पात उत्पादकों की विभिन्न श्रेणियों की सूची अपने पास रखेगी ।

माॅली तिवारी

(मॉली तिवारी)

उप सचिव, भारत सरकार

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART-I, SECTION-1)
Government of India
Ministry of Steel

Udyog Bhawan, New Delhi
Dated the 19th December, 2014

(DRAFT REVISED) NOTIFICATION

No.4(8)/2010-SD-I. The classification of the Steel Producers/ Processors shall be as follows:-

I. Primary Steel Producers: Steel Producers of any capacity starting their operations from iron making using iron ore, virgin or processed, with rolling/processing facilities at single or multiple locations. The iron making, steel making, rolling and processing facilities should be under the ownership of the same company or its subsidiary/subsidiaries.

II. Integrated Steel Producers: Primary steel producers having a minimum capacity of one million tonnes per annum (1 mtpa) in terms of crude steel.

III. Secondary Steel Producers: Steel producers/processors of any capacity comprising:-

a) Steel producers having EAF and/or EIF with/without rolling/processing facilities (but without captive iron making facilities) producing crude/finished steel products from ferrous scrap with/ without using substitutes like sponge iron/DRI in a single location or in different locations but under the same company or its subsidiary.

b) Steel processors like hot re-rolling mills, cold rolling mills, galvanizing units, etc. producing finished/value added steel products from semi-finished/intermediate steel products. The rolling or processing facilities could be in a single location or in different locations but under the same company or its subsidiary.

2. For a producer to be categorised as a Primary or Integrated Steel Producer, the entire gamut of steel production/ processing from iron to crude steel or to semi – finished steel or to finished steel, whether at same or different locations should be owned by the same producer company or its subsidiaries. Further, the different processing plants should use material from their upstream plants of the same company or its subsidiaries, in their downstream units, in order to be classified as primary or integrated steel producers.

3. The above classifications are only for the purpose of statistics collection and has no bearing on the quality of the steel produced. The categorisation of Steel Producers by the Ministry of Steel/ Joint Plant Committee should in no way be seen as a certification of the quality of steel produced.

4. Quality certification should be taken care of by the Bureau of Indian Standards (BIS) or any other designated authorities.

5. There will be no certification done by the Ministry. The Joint Plant Committee will maintain a list of different categories of Producers, to the extent possible, after exercising necessary due diligence.

(Molly Tiwari)
Deputy Secretary to the Govt. of India